


फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर बनाम कृष्ण कुमार परवाल व अन्य
केस संख्या 159 /2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05.12.2024	<p>उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/उत्तर/2024/6807 दिनांक 29.10.2024 प्रेषित कर प्रकरण संख्या 145/2019 ब उनवानी सांवर सिंह बनाम प्रभू सिंह व अन्य में प्रतिवादी संख्या 6 कृष्ण कुमार परवाल द्वारा पीइसीन अधिकारी पर आरोप प्रत्यारोप व न्यायालय पर अनैतिक टिप्पणी किये जाने से न्यायहित में उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कियेजाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया।</p> <p>न्यायहित में उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण संख्या 145/2019 ब उनवानी सांवर सिंह बनाम प्रभू सिंह व अन्य को उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में स्थानान्तरित किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को प्रेषित हो। पक्षकारान दिनांक 02.01.2025 को अग्रिम सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p> (डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर</p>	